

Sub Registry Office, Danapur

Receipt for search, inspection and copy

Saraj Kumari Sahu
Misc token no. Serial no.

Year
Received from

Date 12478

20/9/19


Following fees:

F (I)-0
F (II)-0

F (III)-0
F (IV)-0

G-0
G(a)-0

Total 0 320/-



Registering Officer

4219

संपत्ति अवधार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 19 दिनांक 12/4/78 dt 27/9/2019
 साराज कुमारी साहू एवं सुखदेव प्रसाद साहू
 साहू & others

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति को संबंध में निर्दिष्ट संभवकारी और अवधारों का सविस्तर प्रमाण-पत्र दिया जाये। (अभिप्रेत में दिये गये तथ्यों के अनुसार विवरण दे।)

प्रमाण-पत्र के द्वारा प्रमाणित करना है कि एक संपत्ति का प्रमाणित करने वाले संभवकारी और अवधारों के बारे में सही में और सही संख्या अनुसार संख्या 2005 to 11/1/11 dt

तक संपत्ति की सही और सही संख्या के साथ निम्न संभवकारी और अवधारों का एक सही AS per index II
 चला है अतः सत्यापित अवधार से मुक्त है।

क्र. सं.	(क) संपत्ति का विवरण	निष्ठावन की संख्या	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रकृति के प्र. विवरण		
				निष्ठावन	दावेदार	विवरण	सं.	पृ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	maura - Dhamaut P.S. - Darapuh P.S.No - 20 Khata No - 302 Tauri No - 5556 Plot No - 58 Plot Area - 26 decimal Dist - Patna							

... विवरण दर्ज करें। ...
 ... और भुगतान की अवधि दर्ज करें। ...
 ...
 ... करता है कि उपरोक्त संव्यवहारों और अवधारों को जोड़ एक संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पत्र नहीं बना है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): 
 (पदनाम): U.D.C.
 तलासी का संव्यवहार और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:
 (हस्ताक्षर): 
 (पदनाम): U.D.C.
 कार्यालय: Danabux
 तारीख: 20/9/19



20/9/19
 मुखर एवं निबंधन सहायिका का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वही दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (शान्चेकशनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-50 के अधीन जो व्यक्ति (बाहरी) और अनुक्रमणियाँ (इन्डेन्स) की प्रवाहियाँ देखना चाहते हैं अथवा उनकी प्रतिस्तिपि लेना चाहते हैं उन्हें निबंधित संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों को जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फॉस का भुगतान करने पर वॉचों और अनुक्रमणियाँ उनके पास सामने रखदी जायेंगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है और चूँकि उसके बाद हुई गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिये विभाग आवेदक द्वारा हुई गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की सूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danabux
 ज्ञाप संख्या 3391 तिथि 24/9/19
 आवेदक श्री श्री. सखी कुमारी शर्मा W/O. सुखदेव पद. शर्मा
 का अवधार प्रमाण-पत्र द्वारा SBI, RACPC, Patna

का उनके पत्र संख्या — दिनांक 20/9/19 के प्रसंग में आधारित की जाती है।
 निबंधन सहायिका,
20/9/19